important matter relating to our export pomotion. Ours is a highly inadequate infrastructure for transporting of goods. In view of the economic reforms and the liberalisation policy of the Government of India, we need to increase our share in the world trade. Towards this end export orientation in our infrastructural facilities is an essential element. An efficient and reliable scheme of cargo movement is the basis for export competitiveness. However, the present state of transport infrastructure in India is admittedly inadequate. Multi-modal transport network involving containerisation is emerging as a crucial factor in determining the competitive status of products in the world market. I hope the Government will look into it and provide more facilities of multi-modal transport in the country.

Another important point which I want to bring to the notice of the Government of India is enhancing the share of export of our agricultural commodities and processed food. But, again, I am sory to say that the cargo service for overseas operations as far as the *agricultural proucts* are concerned are just not adequate. It is very sadly missing. Due to lack of container and cargo services. fruit, vegitables and flowers, which are perishable in nature, cannot be exported, though there is a huge demand for them in many hard currency areas. It is well known that there is a bright scope for fruits, vegetables and flowers and also marine products in the international markets, especially the US market, but due to lack of cargo and container services their export potential is not fully utilised. I, therefore, urge upon the Government to ensure that adequate infrastructure is made available at every international airport and sea-port. If possible a division of Air India can be made a cargo airline so that the aim of maximising exports can be achieved.

Violation of I.A.S. cadre and pay rules

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : महोदया, मैं संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत जो आई.ए.एस. आफिसर्स के लिए नियम हैं उनके उल्लंघन का उल्लेख करना चाहता हूं

मेरा कहना यह नहीं है कि आ आई०ए०एस0 कैडर मे कोई गलती नह होगी । लेकिन जब उनको दबाया जाए परेशान किया जाए राजनीतिज्ञों के द्वार तो वह जो एक ढांचा हमारा है जिसक बुनियाद पर सारी सरकार खड़ी है व कमजोर हो जाती है । राजनीतिज्ञ आ इस तरह से इस ढांचे का इस्तेमाल कर र हैं कि अफसोस होता है । लेकिन इ सीम तक जाएं कि ढांचा ही चरमर जाए तो मैं इसकी ओर ध्यान दिलान चाहता हूं ।

जो आई.ए.एस. आफिसर्स रूल हैं उनमें रूल 4 के अंतर्गत कभी भी किस कैडर आफिसर को नान कैडर में ट्रांसफ नहीं किया जाना चाहिए । और यि किया जाए किसी स्थिति में तो उसक अनुमति आवश्यक है । जबर्दस्ती नहीं क जा सकती । लेकिन महोदया, दुख है वि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा य बार-बार किया जा रहा है । जो हम आई.ए.एस. आफिसर्स हैं या ब अधिकारी हैं जो कि वास्तव में एक प्रका से रीढ की हडडी कहे जा सकते हैं, उनक डीमारेलाइज किया जा रहा है । मैं केन सरकार से चाहूंगा कि वह इसकी ओ ध्यान दे । मेरे पास यह सूची है जिस कम से कम 40—45 केसेज ऐसे हैं जिनक जबर्दस्ती एक्स कैडर में लगाया गया रिप्रेज़ेंटेशन हुई हैं । मैं सारी सूची प तो देर लगेगी । दूसरी इसमें एक औ भी तकलीफदेह बात जिसको कहा सकता है वह यह है कि इसमें जातिवाद का भी कहीं न कहीं सहारा लिया गय है । खुल्लम-खुला उत्तर प्रदेश सरकार जो पार्टियां हैं वह कहती रही हैं कि हम जाति के आधार पर जिसको चा

रखेंगे, जिसको चाहें नही रखेंगे। यह अत्यन्त दुखद है, जातिवाद हमारी राजनीति में है। बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे प्रांतों में यदि जातिवाद राजनीति का दबाव डाल करके और हमारे आई०ए०एस० आफिसर्ज के मजबूत ढांचे को भी इस्तेमाल करें तो अत्यन्त दुख होगा। इतना ही नहीं है, आफिसरों को परेशान करने के लिए मेरे पास लिस्ट और है कि एक आफिसर को बार-बार यहां से वहां, वहां से वहां और वहां से वहां ट्रांसफर किया जाता है। एक आफिसर को साल भर 6—7 बार ट्रांसफर किया गया क्योंकि वह एक विशेष जाति का है। इसका उलटा भी है कि जो कोई पोस्ट है उस पर भी अदल के, बदल के, कभी एक को दिया, दूसरे को दिया, फिर तीसरे को दिया। कोई दो महीना रहा, कोई चार महीना रहा। तो मैं गृह मंत्रालय का ध्यान आर्षित करना चाहता हूं कि इसको अधिकार है अनुच्छेद 311 के अंतर्गत कि इस बात को रोकें और मेरा आग्रह होगा कि जो मेरी जानकारी में कुछ अधिकारियों ने केन्द्र सरकार के पास, वे सीधे-सीधे मंत्री को नहीं लिख सकते, जो होम सेक्रेटरी हैं शायद उनको लिखा है। उनके माध्यम से है, सीधे सीधे मंत्री के पास नहीं जा सकते, इसलिए मैं मंत्री महोदया से कहूंगा सरकार से, प्रधान मंत्री से कहूंगा कि इस तरह जातिवाद के आधार पर अथवा केवल परेशान करने के लिए केन्द्र सरकार इस बात को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को और वहां के मुख्य मंत्री को सलाह दे, एडवाइस करें।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदया एक मिनट समय दे दीजिए। आदरणीय माथुर जी ने जो कहा है, इनकी बात से मैं सहमत नहीं हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जातिवाद के आधार पर... **(व्यवधान)** ...

श्री जगदीश चन्द्र माथुर : मेरे पास सूची है।

श्री ईश दत्त यादव : उसी सूची को तो मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार जातिवाद के आधार पर अधिकारियों का स्थानांतरण कर रही है या उनके साथ व्यवहार कर रही है, यह बात बिल्कुल निराधार है और माथुर जी ने जो कुछ कहा है मैं समझता हूं कि केवल राजनीतिक भावना से और राजनीतिक द्वेष से कहा है। जहां तक अधिकारियों की पदोन्नति का सवाल है या कैडर बदलने का सवाल है या स्थानांतरण का सवाल है, यह तो मैरिट के आधार पर और प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया जा रहा है, किसी जातिवाद के आधार पर यह नहीं किया जा रहा है। इसलिए माथुर जी ने जो कुछ कहा हैं मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : अगर आप कहें तो सारी सूची पढ दूं?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा) आप सूची को सदन के पटल पर रख दें।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : नहीं-नहीं उपसभाध्यक्ष महोदया, आप सदन के पटल पर रखने के लिए आदेश दे रही हैं?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा) : आप अगर कहें... **(व्यवधान)**

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जरा सोच लीजिए।

श्री नरेश यादव (बिहार) : माथुर जी, अभी आपने अपने विशेष उल्लेख के जरिए बिहार का भी जिक्र किया है। इसी से स्पष्ट होता है कि आपने राजनीतिक दुर्भावना से उल्लेख किया है। मैं जानना चाहूंगा कि जरा सूची में बिहार को दिखाइये?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : सूची में बिहार नहीं हैं। खुल्लम-खुला वहां स्ट्राइक हुए हैं, आपस में झगड़े हुए हैं, रिप्रजेंटेशन दिए गए हैं जातिवाद के आधार पर, वहां तो और ज्यादा... **(व्यवधान)**

श्री नरेश यादव : जाति के आधार पर शोषण हुआ है । . . . (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जाति के आधार पर बिहार में आफिसरों का . . . (व्यवधान) मुख्य मंत्री महोदय खुल्लम-खुला बयान दिए हैं, उनकी मीटिंग में गए हैं । आप क्या बात कर रहे हैं । . . . (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा) : नरेश यादव जी, आपका अपना भी स्पेशल मेंशन है, अब आप अपने स्पेशल मेंशन पर बोलिए । . . . (व्यवधान) एक मिनट, नरेश जी, आप एक मिनट स्थान ग्रहण करें । हां, आप कुछ कहना चाहते हैं ?

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI (Uttar Pradesh): Madam Vice-Chairperson, I want to associate myself with the basic proposition which my honourable colleague, Mr. Mathur has raised. That is, the violation of the regulations of the all-India services. I am not going to the States or going to name any particular individuals. But I would like to touch upon the basic question of the violation of the all-India services rules. The frequency of transfers justifid on so calld administrative grounds, posting of officers who are borne on a cadre to non-cadre posts and posting of non-cadre officers to cadre posts have to be regulated according to those particular rules. Unfortunately, the Ministry of Personnel which is supposed to look into these things, somehow or other, is completely indfferent and this is creating a lot of problems. Problems also arise when ex-cadre posts are created. This is an extra burden so far as the State economy is concerned. And when some IAS or IPS officer is transferred to a non-cadre post occupied by a PCS or a Provincial Police Service Officer, then there is also discontent amongst the State-level services. Madam Vice-Chairprson, you can well realise the demoralisation which is caused by the frequency of transfers. I have and I can give the names of some officers unfairly treated in some States. But that is not my purpose. My only purpose is to urge that till the all-India services exist and till we want them to function in a fair and impartial manner, the rules which are supposed to govern their conduct and also the rules which are supposed to govern their transfers and rights and responsibilities should be enforced in a fair manner and a proper monitoring by the Government of India should be done, as is provided for by the Act which has been passed by this hon. Parliament itself.

8hank you, Madam Vice-Chairperson.

Closure of steamer services on the National Waterway in River Ganga

श्री नरेश यादव (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से जल, भूतल एवं परिवहन मंत्री का ध्यान राष्ट्रीय जल मार्ग गंगा नदी के बिहार राज्य अंतर्गत बक्सर से पाकुड़ तक के लगभग साढ़े चार सौ किलोमीटर में रहने वाले, हजारों गावों एवं नदी के किनारे बसने वाले महत्वपूर्ण शहरों के आम नागरिकों की अति-गंभीर समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

राष्ट्रीय जलमार्ग गंगा नदी पर मात्र तीन पुल बक्सर, पटना एवं मोकामा पर अवस्थित हैं । हथिदाह से फरक्का तक इस राष्ट्रीय जलमार्ग पर यातायात हेतु साधन सिर्फ नौका ही है । चूंकि गंगा के दोनों पार जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय अवस्थित है । साथ ही साथ व्यापारिक, कृषि-कार्य एवं रिश्ते नातेदारों से मिलने के लिए छोटी छोटी नौकाओं पर बैठकर आर-पार आना जाना पड़ता है । सनद रहे कि उत्तरी बिहार से दक्षिण बिहार का विभाजन भी यही गंगा नदी करती है । इस क्रम में हर वर्ष बड़ी संख्या में नौका दुर्घटनाएं हो